न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावां संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
195 / 2022	07.10.2022	14.11.2022

/ /उनवान/ /

1 राकेश शर्मा पुत्र श्री मीरसिंह शर्मा जाति ब्राहमण निवासी फाजिलवास तह0 मानेसर जिला गुरूग्राम।

2 विरेन्द पुत्र मीरसिंह जाति ब्राहमण निवासी फाजिलवास तह0 मानेसर जिला गुरूग्राम।

:– वादी

बनाम

1 गिर्राज पुत्र शिवजी जाति जाट निवासी नंगली औझा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

2 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर राज0।

–: तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा– दखलयाबी मय हु0ई0 दवामी।

उपस्थितिः– 1 श्री शशीकांत शर्मा – वकील वादीगण
2 श्री राकेश शर्मा – वकील प्रतिवादी सं0 01

<u>निर्णय</u> दिनांक– 14.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 29/0.01, 30/0.27 है0 का 1/3 भाग व ख0नं0 28/0.16, 925/459/0.32, 939/541/0.56 है0 वाके ग्राम नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। वर्तमान सैंटलमेंट के दौरान गत ख0नं0 25/0.28 है0 से हाल ख0नं0 29/0.01 है0व 30/0.27 है0 तथा गत ख0नं0 24/0.16 है0 से हाल ख0नं0 28/0.16 है0 व गत ख0नं0 363/2 रकबा 0.32 है0से हाल ख0नं0 925/459 रकबा 0.32 है0 तथा गत ख0नं0 429/2 रकबा 0.56 है0 से हाल ख0नं0 939/541 रकबा 0.56 है0 पैमूद किये है उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी सं0 01 के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी रही है तथा मिनवादीगण ने उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 01 से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 27.07.2022 को खरीद किया हुआ है तथा वक्त खरीद से ही आराजी में पुख्ता रिहायशी मकानाता निर्मित है जिनकी मरम्मत कराकर आराजी व मकानात पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं एवं आराजी में फसल काश्त करने के बाद अपने घर चले गये तो अरसा करीब तीन माह पूर्व प्रतिवादी सं0 01 ने आराजी में निर्मित मकान पर जबरन कब्जा कर लिया ओर अब मिनवादी दिनांक 20.09.2022 को अपनी आराजी में अपनी बोई फसल बाजरा कटाई करने आया तो अपने मकानात पर प्रतिवादी का कब्जा देखा जिसपर प्रतिवादी सं0 01 से अपनी आराजी में निर्मित मकानात से कब्जा छोड़ने की कही तो प्रतिवादी ने कब्जा छोड़ने से मना कर दिया तथा एलानियत तौर पर धमकी दी की हमने तो अभी मकानात पर कब्जा किया आगे आराजी पर कब्जा करेंगे आदि कां अंकन करते हुये अंकित किया कि यदि वाकई में प्रतिवादी ने निर्मित मकान से कब्जा नहीं छोड़ा तथा आराजी पर भी कब्जा कर लिया तो मिनवादी को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा अपनी खरीदशूदा आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा दावा करना ही बैमायना हो जायेगा। चूंकि मिनवादी के अधिकार

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

कानून द्वारा रक्षित है इसलिए प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा किये गये मकान से उसे बेदखल कराकर मकान पर वादी कब्जा पाने का अधिकारी है कानून द्वारा मिनवादी के अधिकार सुरक्षित है आदि–आदि का अंकन करते हुये वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री दखलयाबी इस प्रकार पारित की जावे की विवादित आराजियात में निर्मित मकानात से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को मकानात पर दखल दिलाई जावे एवं डिक्री हु0ई0 दवामी से प्रतिवादी को पाबंद किया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी कराई गई बाद तलबी प्रतिवादी सं0 01 जरिये अधिवक्ता स्वयं जाजिर अदालत आकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 01 की ओर से राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया मुताबिक राजीनामा सारतः रहा कि विवादित आराजी व समस्त निर्माण कच्चा व पक्का में वादी के नाम का है उसमें किसी भी प्रकार की मजहामत व कब्जा प्रतिवादी गिर्राज व उसका परिवार नहीं करेगा। राजीनाम पेश कर निवेदन है कि अनुवानित पत्रावली आज ही तलब कर राजीनामा तस्दीक फरमाया जावे व इसी प्रकार दावा डिक्री कर दिया जावे का अंकन रहा है।

वकुलाय को पत्रावली एवं प्रस्तुत राजीनामा पर सुना गया। वकुलाय ने एवं उभयपक्षकारान ने मुताबिक राजीनामा वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को बरूवे राजीनामा यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादीगण के हाल आ0ख0न0 29/0.01, 30/0.27 है0 का 1/3 भाग व ख0नं0 28/0.16, 925/459/0.32, 939/541/0.56 है0 वाके ग्राम नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, के बाबत के वाद को बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी सं0 01 को उपरोक्त विवादित आराजियात एवं उक्त आराजियात में निर्मित मकानात के बाबत हु0ई0 दवामी से सदैव–सैदव के लिए पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण की उक्त वर्णित आराजियात में कोई निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही कोई बोरिंग करे, ना ही किसी प्रकार की भी मजाहमत ही पैदा करे पाबंद रहे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **14.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

14-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर
मुण्डावर अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावां संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
195 / 2022	07.10.2022	14.11.2022

/ /उनवान/ /

1 राकेश शर्मा पुत्र श्री मीरसिंह शर्मा जाति ब्राहमण निवासी फाजिलवास तह0 मानेसर जिला गुरूग्राम।

2 विरेन्द्र पुत्र मीरसिंह जाति ब्राहमण निवासी फाजिलवास तह0 मानेसर जिला गुरूग्राम।

:– वादी

बनाम

1 गिर्राज पुत्र शिवजी जाति जाट निवासी नंगली औझा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

2 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा– दखलयाबी मय हु0ई0 दवामी।

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से श्री **शशीकांत शर्मा– वकील वादी** एवं प्रतिवादी सं0 01 की ओर से श्री राकेश शर्मा **की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.11.2022 को पंकज बडगूजर सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–**

न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। **हाल आ0ख0नं0 29/0.01, 30/0.27 है0 का 1/3 भाग व ख0नं0 28/0.16, 925/459/0.32, 939/541/0.56 है0 वाके ग्राम नंगलीऔझा तह0 मुण्डावर जिला अलवर, के बाबत के वाद को बरूवे राजीनामा स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति वादीगण का वाद डिकी किया जाता है एवं प्रतिवादी सं0 01 को उपरोक्त विवादित आराजियात एवं उक्त आराजियात में निर्मित मकानात के बाबत हु0ई0 दवामी से सदैव–सैदव के लिए पाबंद किया जाता है कि वो वादीगण की उक्त वर्णित आराजियात में कोई निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही कोई बोरिंग करे, ना ही किसी प्रकार की भी मजाहमत ही पैदा करे पाबंद रहे।**

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 14.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

14-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर
मुण्डावर अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राकेश बनाम गिर्राज	

दिनांक 07.10.2022

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 राजस्व वाद के साथ पेश किया। अभिभाषक/प्रार्थी का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन रहा। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिसके मुताबिक प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में ही साबित प्रतीत होता है

अतः अप्रार्थीगण 01 लगायत 02 को आगामी नियत दिनांक 14.11.2022 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख0 नं0 29, 30, 28, 459, 541, वाके ग्राम नगली औझा तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0) में से प्रार्थीगण के हक व हिस्से पर काश्त कार्य में उपभोग, उपयोग पर किसी भी तरह की मजाहमत पैदा नहीं करें। क्योंना उक्त आदेश ताफैसला दावा सम्पुष्ट कर दिया जावे? कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत आकर अपना–अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलवी अप्रार्थीगण वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड तलवी हेतु नोटिस तलवाना पेश करे, जारी हो। उक्तानुसार वकील प्रार्थी द्वारा आगामी नियत दिनांक पूर्व तलवी नहीं कराये जाने की स्थिति में उपरोक्त जारी अन्तरिम स्थगन आदेश आगामी नियत दिनांक को निरस्त समझे जावेंगे। बाद तलवी पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.11.2022 को पेश हो। **प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।**

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

14/11/22 आज पत्रावली मूल दावा व प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वयं उप० आये। राजीनामा पेश किये गये। प्रार्थीगण की मूल दावा पत्रावली आज करके राजीनामा डिक्री कर निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। फैसला सुनाया गया। नम्बर से कम हो बाद तकमील रिकॉर्ड मालखाना रहे। सुनाया गया।

राकेश शर्मा
राकेश शर्मा
अ. कि
गिर्राज

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0